

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

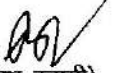
कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	शगुफ़ा नकवी, राबामावि, रामसर जिला अजमेर	प्र०अ०	08-07-1965	26-12-1998	20 YEAR	25-12-2018	26-12-2018	L-16
2	रामेश्वर लाल खीचड़ कार्यालय जि०शि० (मुख्यालय) नागौर	से०नि० अति०जि०शि०	23-01-1961	05-12-1990	30 YEAR	04-12-2020	05-12-2020	L-17
3	उदय सिंह मीणा, राउमावि, धरसोनी जिला भरतपुर	से०नि० प्रधानाचार्य	12-09-1958	09-08-1986	30 YEAR	08-08-2016	09-08-2016	6800/-
4	जगदीश प्रसाद शर्मा, राउमावि, रानीगांव जिला पाली	से०नि० प्रधानाचार्य	01-07-1957	19-09-1979	30 YEAR	18-09-2009	19-09-2009	5400/-
5	भंडर लाल हीरावत, राउमावि, फलीचंडा जिला उदयपुर	से०नि० प्रधानाचार्य	08-11-1957	15-09-1995	20 YEAR	14-09-2015	15-09-2015	6800/-
6	लखनलाल, राउमावि, धोसला जिला करौली	से०नि० प्रधानाचार्य	01-08-1960	28-11-1996	20 YEAR	27-11-2017	28-11-2017	L-17 6800/-
7	हनुमान प्रसाद सिघल, रुलाना जिला सीकर	से०नि० प्रधानाध्यापक	27-09-1958	03-07-1984	30 YEAR	08-07-2014	09-07-2014	6000/-
8	किशन लाल, राउमावि, कपासियों की ढाणी जिला जालौर	से०नि० प्रधानाचार्य	05-06-1959	15-12-1993	20 YEAR	14-12-2013	15-12-2013	6800/-

नोट :-

- एसीपी स्वीकृत किए जाने पर एक वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा स्वीकृत एसीपी ग्रेड/पे-लेवल में वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- क्र०स० 6 पर अंकित को पदोन्नति परित्याग के कारण एक वर्ष आगे से एसीपी का लाभ देय।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

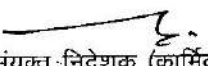
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-2-3-4/एसीपी/2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा
- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- संबंधित अधिकारी/संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी

6- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर